वाणिज्यिक भूखंड के हस्तांतरण पर अब 5000 का स्टांप शुल्क

कैबिनेट ने दी मंजूरी, शहर के 10 हजार से ज्यादा वाणिज्यिक भूखंडों के मालिकों को मिली बड़ी राहत

ऋषभ कौशल

नोएडा। शहर के 10 हजार से अधिक वाणिज्यिक भूखंडों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे अपने व्यावसायिक प्लॉट को पारिवारिक सदस्य के नाम कम खर्च में हस्तांतरित कर सकेंगे।

मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारिवारिक सदस्यों के बीच दान विलेख पर लगने वाले स्टांप शुल्क को अधिकतम 5,000 निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से खासतौर पर शहर के कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सेक्टर 33 स्थित उप निबंधन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, अब तक पारिवारिक सदस्यों के बीच केवल कृषि और आवासीय संपत्तियों के दान पर ही स्टांप शुल्क में यह राहत मिलती थी, लेकिन नए निर्णय के तहत व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है। यानी अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लाट या भवन को परिवार के सदस्य को दान करने पर मूल्य के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा।

शहर में पहले व्यावसायिक संपत्तियों के दान पर शहरी क्षेत्र में करीब 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। कारोबारियों के अनुसार, बड़े सर्किल रेट वाली संपत्तियों पर यह रकम लाखों रुपये तक पहुंच जाती थी, जिससे पारिवारिक हस्तांतरण भी बोझिल हो जाता था। अब इस फैसले के बाद शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में एक समान 5,000 स्टाम्प शुल्क लागू होगा।

गजट निकलते ही लागू हो जाएंगे नियम

सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम व सहायक आयुक्त स्टांप प्रथम अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैसे ही गजट निकलेगा, नियमों का अनुपालन तभी से शुरू कर दिया जाएगा। अनुमान है कि इसी हफ्ते से ही यह नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

राहत देने वाला फैसला है

> सरकार ने कारोबारियों को राहत पहुंचाई है। यह उद्योग जगत के लिए लाभकारी फैसला है। सरकार ने बोझ को कम करने का प्रयास किया है। **-राजीव बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आईआईए**

> नोएडा जैसे शहर में बड़ी संख्या में औद्योगिक भूखंड हैं। यह राहत भरा फैसला है। परिवार के सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरित करने में कम खर्च आएगा। **-ललित ठुकराल, अध्यक्ष नोएडा अपैरल क्लस्टर**

> सरकार को अन्य फैसले लेकर कारोबारियों के बोझ को हल्का करना चाहिए। यह कदम सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसकी काफी समय से मांग थी। **- शिखा मिश्रा, पेंट कारोबारी**

> हमारी संपत्तियों का वैधानिक हस्तांतरण आसान, पारदर्शी और कम खर्चीला होगा। सरकार के निर्णय से सभी जिले के उद्यमी खुश हैं। **-अनिल भारद्वाज**

पहले व्यावसायिक संपत्तियों के दान पर शहरी क्षेत्र में 7 व ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता था